दूरभाष : 0121–2665734
फेक्स : 0121–2666062

E-Mail-pvvnlacc@gmail.com
CIN- U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001

संख्या : 3641 /प0वि0वि0नि0लि0/मेरठ/लेखा/ए–1(VII)/2015–16 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निगम कार्यहित में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 249–डीएस–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 दिनांक 07.09.2015 के द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा–3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम–2007 द्वारा निविष्ट नियम–8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–8/4/1/2002 टीसी–1–का–2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या 60–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015–3– विनियम/92 दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ–2 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा–3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ–3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुए, उन्हें स्तम्भ–4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किये जाने के आदेश पारित किये गये है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ–5 में उल्लिखित पद पर सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुए तदानुसार प्रोन्नत किये जाने के फलस्वरूप श्री अमरेश कुमार शकरवाल को सहायक लेखाधिकारी के पद पर निम्नवत् तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम(सर्वश्री)/आडिट संख्या गृहजनपद/ सेवानिवृत्ति की तिथि	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7)/ नियम–8(क) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7)/ नियम–8(क) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त पदावनत पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम एवं तैनाती स्थल
1	2	3	4	5
1.	श्री अमरेश कुमार शकरवाल (अ0जाति) ए–852, सहारनपुर/ 30.06.2024/ सहायक लेखाधिकारी (राजस्व), वि0वि0ख0, मुजफ्फरनगर	सहायक लेखाधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखाधिकारी (राजस्व), वि0वि0ख0, मुजफ्फरनगर

1. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 21.03.07 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2. उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त कर दिया जायेगा। स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानांतरित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था से तुरन्त कार्यमुक्त कर दें एवं कार्यमुक्ति की तिथि को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश संख्या–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का स्वांकन तथा अंकन प्रस्तुतीकरण कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3641 /प0वि0वि0नि0लि0/मेरठ/लेखा/ए–1(VII)/2015–16 दिनांक : 19 SEP 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सहारनपुर।
5. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), सहारनपुर।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–8/4/1/2002 टीसी–1–का–2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के आदेश संख्या 60–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015–3–विनियम/92 दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्मिक को किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।
10. सम्बन्धित अधिकारी।
11. व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल।

(पी0के0 अग्रवाल)
उपमहाप्रबन्धक(लेखा)